न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 1166 / 20 / (2020 / 01166) भीलवाड़ा

विभागीय अपील द्वारा श्री मोहन सिंह चारण तत्कालीन पटवारी बिशनिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा क्रमांक प.1ख(1)() / भू.अ. / विजा / 2014 / 68017 दिनांक 30–3–2016 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री मोहन सिंह चारण तत्कालीन पटवारी बिशनिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांकः– 25.01.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एक ज्ञापन दिनांक 11–12–2014 अन्तर्गत नियम 17 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–1

1. यह कि उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के प्रकरण संख्या 225 / 11 निर्णय दिनांक 26–4–2011 अनवानिक अब्दुल मजीद सिलावट निवासी पारोली बनाम माया देवी सैनी के प्रकरण अन्तर्गत धारा 111–128 एल.आर.एक्ट मय पारित निर्णय अनुसार भू.अ.निरीक्षक पारोली को कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार, कोटड़ी ने दिनांक 5–5–2011 को भू.अ.निरीक्षक पारोली को पारोली स्थित वा[illegible] आराजी संख्या 1151 / 1 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा की पत्थरगढ़ी करने के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: SelfAttested

जारी किये गये। जून 2011 में पत्थरगढ़ी कार्य की अधिकता की वजह से तहसीलदार कोटड़ी द्वारा टीम गठित की जाकर पटवार मण्डल पारोली के अन्तर्गत अवशेष पत्थगढ़ी के मामलों का निस्तारण बाबत पटवारी पारोली एवं पटवारी बिशनिया की टीम गठित कर पत्थरगढ़ी हेतु अधिकृत किया गया। इस आदेश की पालना में ग्राम पारोली के वादग्रस्त आराजी संख्या 1151/1 की पत्थरगढ़ी के सन्दर्भ में आपने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें आपने यह उल्लेख किया है कि आ0न0 1151/1 की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने से पत्थरगढ़ी किया जाना संभव नहीं है। जबकि आपने अपने स्वयं के बयानों में उल्लेख किया है कि ग्राम पारोली के जीर्ण–शीर्ण नक्शों में आ0न0 1151/1 एवं 1151/2 की पुख्ता तरमीम थी। इसकी ताईद उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी की तरमीम 1969 मूल आवंटन मिसल एवं 1972 को आवंटी को जारी पासबुक में संलग्न नक्शा ट्रेस में होना अंकित किया है। इस प्रकार आपने वादग्रस्त आराजी की राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं होने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि अनाधिकृत होकर अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति अनियमितता का प्रतीक है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने दिनांक 13–4–2015 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। तत्पश्चात जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी पटवारी श्री मोहन सिंह चारण तत्कालीन पटवारी बिशनिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा को उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (without comulative effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त दण्डदेश क्रमांक प 1 ख 16 (1)( )/भू.अ./विजां/2014/68017 दिनांक 30–3–2016 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर होने पर पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा से कार्यवाही व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी के प्रकरण संख्या 225/11 निर्णय दिनांक 26–4–2011

अनवानिक अब्दुल मजीद सिलावट निवासी पारोली बनाम माया देवी सेन में अन्तर्गत धारा 111–128 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय अनुसार भू.अ.निरीक्षक पारोली को कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार, कोटड़ी ने दिनांक 5–5–2011 को भू.अ.निरीक्षक पारोली को पारोली स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 1151/1 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा की पत्थरगढ़ी करने के आदेश जारी किये गये। जून, 2011 में पत्थरगढ़ी कार्य की अधिकता की वजह से तहसीलदार कोटड़ी द्वारा टीम गठित की जाकर पटवार मण्डल पारोली के अन्तर्गत अवशेष पत्थरगढ़ी के मसलों का निस्तारण बाबत पटवारी पारोली एवं पटवार विशनिया की टीम गठित कर पत्थगढ़ी हेतु अधिकृत किया गया।

अपचारी कर्मचारी का यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य दोषी सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक पारोली रहे है जिनको अनुशासनात्मक अधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने ज्ञापन संख्या प.1ख(18)(1)() भू.अ./2013/86927–28, दिनांक 14–5–2013 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये गये कि '' आपके भू.अ.निरीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान ग्राम पारोली में आराजी नम्बर 1151/1 रकबा 9.14 बीघा व आराजी नम्बर 1152/2 रकबा 5 बीघा के मध्य पुख्ता तरमीम नहीं होने से मकसूद तरीके से नक्शे में तरमीम कर दिनांक 24–6–2012 को पत्थरगढ़ी कार्यवाही सम्पादित कर मौका पर्चा तैयार किया जिसमें आराजी नम्बर 1151/1 के खातेदार अब्दुल मजीद की कृषि भूमि में 1 बीघा भूमि पर आराजी नम्बर 1151/2 के खातेदार माया देवी का अतिक्रमण दर्शाया। इस प्रकार आपने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने मनमकसूद तरीके से नक्शें में तरमीम कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित कर आराजी खसरा नम्बर 1151/1 व 1152/2 के खातेदार के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया है, जो अनाधिकृत होकर अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति अनियमितता का प्रतीक है, जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या 1 में अंकित है''

श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक ने दिनांक 5–6–2013 को उनकी सेवानिवृति के बाद उक्त आरोप पत्र का उत्तर दिया एवं आरोपी ने स्वयं अपने जवाब के पृष्ठ 3 में यह स्वीकार किया है कि '' पूर्व [illegible]री द्वारा नक्शे की तरमीम नहीं बताकर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस [illegible] हस्ताक्षर नहीं है, मैंने पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर रिपोर्ट को [illegible] पत्थरगढ़ी प्रकरणों की पालना में अग्रेषित कर दिया था।'' श्री सत्तार खां ने [illegible]खण्ड अधिकारी एवं विभागीय जांच अधिकारी कोटड़ी को उपरोक्त वर्णित विभागीय जांच के कम में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: Self Attested

9–6–2014 को एक लिखित बहस प्रस्तुत की थी इस लिखित बहस में उन्होंने स्वीकार किया है कि ''रूटीन के अन्य 48 प्रकरणों के साथ तहसीलदार कोटड़ी के समक्ष गुड फेथ में पटवारियान द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढ़ी की पालना मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई।'' इसके बाद दिनांक 24–6–2012 को लगभग एक वर्ष बाद श्री सत्तार खां ने पत्थरगढ़ी की कार्यवाही अन्य पटवारी हलका वीरधोल श्री श्यामलाल शर्मा के साथ पूर्ण की एवं रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी।

अपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि राजस्व रेकार्ड में तरमीम नहीं होने से पत्थरगढ़ी संभव नहीं है। रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई एवं दूसरी ओर उन्होंने एक वर्ष बाद दूसरे पटवार हलके के पटवारी के साथ पत्थरगढ़ी को अंजाम दे दिया। भू.अ.निरीक्षक द्वारा विधिविरूद्ध कार्यवाही कर अपीलार्थी को फंसाने का षडयंत्र कारित किया है। पत्थरगढ़ी करवाने के दौरान हलका पटवारी को साथ रखना अनिवार्य था परन्तु श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक ने अब्दुल मजीद सलावट निवासी पारोली को न्यायालय में चल रहे वाद में अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु पत्थरगढ़ी कर दी। उक्त पत्थरगढ़ी को तत्कालीन जिला कलक्टर श्री ओंकार सिंह द्वारा तरमीम को अपने निर्णय दिनांक 31–1–2013 से निरस्त कर दिया गया था। उक्त तथ्य की अनदेखी कर अनुशासनिक अधिकारी ने श्री सत्तार खां के विरूद्ध चल रही नियम 16 की जांच को समाप्त कर अपीलार्थी को झूंठा फसाया है जबकि वास्तविक दोषी श्री सत्तार खां ही है। उक्त प्रकरण में पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार कोटड़ी ने जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी को तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 9–6–2014 को प्रस्तुत की थी जिसमें निष्कर्ष में उन्होंने अंकित किया है कि उक्त सम्पूर्ण मामलें से सिद्ध हो जाता है कि अपचारी कर्मचारी श्री सत्तार खां द्वारा जून 2011 में अग्रेषित रिपोर्ट ''तरमीम नहीं होने से पत्थरगढ़ी संभव नहीं है'' होना बताया एवं इसके विपरीत एक वर्ष बाद जून 2012 में उक्त प्रकरण में पत्थरगढ़ी की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना यह सिद्ध करता है कि अपचारी कमचारी श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक पर आयत आरोप/आरोप विवरण पत्र सही प्रायोजित किये गये है इसके लिए अपचारी कर्मचारी श्री सत्तार खां उत्तरदायी है।''

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी कोटडी ने जो जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषि[illegible] उसमें पैरोकार सरकार के न तो मौखिक बयानों का और न ही उनके द्वारा [illegible] लिखित रिपोर्ट का विश्लेषण किया एवं केवल अपचारी कर्मचारी [illegible]त्तार खां द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13–6–1972 में जारी पासबुक में संलग्न नक्शा ट्रेस, सन् 1969 में पारित नामान्तरकरण संख्या 79 पर चस्पा नक्शा ट्रेस एवं मूल आवंटन मिसल संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: Self Attested

2359 सन् 1965 में संलग्न नक्शा लट्ठा ट्रेस तथा उसके स्वयं के बयानों का हवाला देकर जांच रिपोर्ट मय पत्रावली जिला कलक्टर को भिजवा दी जबकि उनको नवीनतम नक्शा ट्रेस से वस्तुस्थिति देखनी चाहिए थी कि पटवारी हलका पारोली ने जो नक्शा उपलब्ध कराया उसमें वास्तव में तरमीम अस्पष्ट थी जिससे पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती थी।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किन्हीं सीमाओं से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में भू.अ. अधिकारी जहां तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर और यह संभव न हो अथवा ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा। इस प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी ने जो नवीनतम उपलब्ध नक्शे के अनुसार पत्थरगढ़ी नहीं किये जाने की रिपोर्ट की है वह नियमानुसार है क्योंकि पुराने ट्रेस कटी–फटी एवं अपठनीय थी।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान लैण्ड रेकार्ड मेन्युअल के अनुच्छेद 60 में उल्लेख है कि '' सभी राजस्व अधिकारी, जिन पर वे नियंत्रण करते है, उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले नक्शें की शुद्धता के लिए जिम्मेदार है'' इस आधार पर भी पटवारी से उच्च राजस्व अधिकारी मानचित्र के बारे में जांच करेंगे। अपीलार्थी ने नये नक्शे के अनुसार पत्थरगढ़ी नहीं हो सकने की जो रिपोर्ट की थी उसकी जांच जोनी चाहिए थी न कि प्रार्थी को दण्ड दिया जाना चाहिए। श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक ने अपीलार्थी द्वारा तैयार रिपोर्ट को उच्चधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जिससे स्पष्ट है कि वे उस रिपोर्ट से सहमत थे। उसके बाद में एक साल बाद अपीलार्थी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की अनदेखी कर श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी अन्य हलका पटवारी को साथ लेकर सम्पन्न कर दी। उक्त दुष्कृत्य के अपराध में श्री सत्तार खां भू.अ. निरीक्षक पारोली के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त प्रकरण में श्री सत्तार खां भू0अ0 निरीक्षक की संलिप्तता रही है। अपीलार्थी का इसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है एवं नवीनतम नक्शे के आधार पर प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी नहीं किये जाने की जो रिपोर्ट दी है वह सहीं है। अपीलार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी नहीं किये जाने की जो रिपोर्ट से किसी पक्ष को न तो कोई हानि कारित हुई है और न ही लाभ सरकार को भी कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। इसके विपरीत श्री सत्तार खां की कार्यवाही से साबित है कि उनके द्वारा की गई पत्थरगढ़ी से अब्दुल मजीद पुत्र नजीर खां मुसलमान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: Self-Attested

लाभ हुआ है। इसके उपरान्त भी अनुशासनिक अधिकारी द्वारा सत्तार खां के जांच प्रकरण को ड्रोप करने के आदेश दिनांक 30–3–2016 को पारित कर दिये गये।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम पारोली के आराजी खसरा नम्बर 1151/1 रकबा 9.14 बीघा की पत्थरगढ़ी करने हेत एक टीम के रूप में पटवारी हलका पारोली के साथ (अपीलार्थी के साथ) पटवारी हलका बिशनिया को लगाया गया था एवं दोनों ने मिलकर विवादित पत्थरगढ़ी बाबत यह रिपोर्ट दी थी कि तरमीम बिल्कुल अस्पष्ट होने से पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती। अनुशासनिक अधिकारी ने दोनों पटवारियों को अलग–अलग राजस्थान अवैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम) 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र देकर दण्डित किया है जो नियमान्तर्गत सही नहीं है एवं उक्त नियमों का उल्लंघन है अतः जांच आदेश ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसे मामलें में उपरोक्त नियमों के नियम 18 में संयुक्त जांच का प्रावधान है जिसकी पालना नहीं की गई है एवं एक ही प्रकरण व रिपोर्ट में अलीग–अलग चार्जशीट दी जाकर जो दण्डादेश पारित किया है वह प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है।

उन्होंने ये भी कथन किया कि अपीलार्थी का शासकीय जीवन सदैव बेदाग रहा है एवं इस दण्डादेश के फलस्वरूप अपीलार्थी को मिलने वाली पदोन्नतियों से अकारण वंचित होना पड़ेगा। जांच अधिकारी एवं विभागीय पैरोकार ने एकराय होकर गलत जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा को लिखित साक्ष्य को दरकिनार करते हुए प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से अपीलार्थी को दण्डित कर दिया गया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर जो दण्ड दिया गया है वह नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर श्रीमान् जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 30–3–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिस पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 70212 दिनांक 18–11–2020 में अंकन किया है कि अपीलार्थी की मूल अपील के बिन्दु संख्या 1 से 9 में अंकित कथनों को अस्वीकार किया जाकर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है आदि का अंकन किया है। श्री गोपाल लाल शर्मा तत्कालीन पटवारी पारोली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के जवाब पर तहसीलदार कोटडी की टिप्पणी के अनुसार अपचारी पटवारी द्वारा पुराने नक्शा लट्ठा में वादग्रस्त आराजी की पुख्ता तरमीम होते हुए भी अपचारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1151/1 की राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं होने से पत्थरगढ़ी किया जाना संभव नहीं है, कि गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:19 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अपचारी कर्मचारी की लापरवाही का द्योतक है। उक्त लापरवाही के फलस्वरूप याची श्री मोहन सिंह चारण तत्कालीन पटवारी बिशनिया तहसील कोटडी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकी गई है जो सर्वथा उचित है। अतः याची द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे। ताकि अपीलार्थी भविष्य में राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन में सजग रह सके।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र व अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अपीलार्थी द्वारा श्री सत्तार खां भू.अ. निरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि राजस्व रेकार्ड में तरमीम नहीं होने से पत्थरगढ़ी संभव नहीं है। भू.अ.निरीक्षक ने यह रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी एवं दूसरी ओर श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक द्वारा एक वर्ष बाद दूसरे पटवार हलके के पटवारी के साथ पत्थरगढ़ी को अंजाम दे दिया जबकि पत्थरगढी के दौरान हलका पटवारी को साथ में रखना चाहिए था। उक्त अविधिक कार्यवाही करने के लिए श्री सत्तार खां भू0अ0निरीक्षक के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही की गई थी जिसमें श्री सत्तार खां व अपीलार्थी पर समान आरोप आरोपित किये गये। पत्थरगढ़ी करवाने के दौरान हलका पटवारी को साथ रखना अनिवार्य था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक ने अन्य पटवार हलका के पटवारी को साथ लेकर अब्दुल मजीद सलावट निवासी पारोली को न्यायालय में चल रहे वाद में अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु पत्थरगढ़ी कर दी। उक्त पत्थरगढ़ी को तत्कालीन जिला कलक्टर श्री ओंकार सिंह द्वारा तरमीम को अपने निर्णय दिनांक 31–1–2013 से निरस्त भी कर दिया गया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 30–3–2016 में श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक पारोली के विरूद्ध विवादग्रस्त आराजियात की तरमी[illegible] छांट कर नये सिरे से तरमीम किये जाने के आरोप सिद्ध नहीं होने को [illegible] करते हुए विचाराधीन विभागीय जांच प्रकरण समाप्त (DROP) किया है, [illegible] ही प्रकरण में श्री सत्तार खां भू. अ.निरीक्षक को दोषमुक्त कर दिया गया [illegible] तो अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डादेश पारित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है जबकि अपीलार्थी ने ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: SelfAttested

पारोली के वादग्रस्त आराजी संख्या 1151/1 की पत्थरगढ़ी के सन्दर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत कर उल्लेख किया था कि आ0न0 1151/1 की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने से पत्थरगढ़ी किया जाना संभव नहीं है, उसके बावजूद भी श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक पारोली द्वारा अन्य पटवार मण्डल के पटवारी को साथ लेकर व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से पत्थरगढ़ी को अंजाम दिया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उक्त प्रकरण में श्री सत्तार खां भू0अ0 निरीक्षक की स्पष्ट रूप से संलिप्तता परिलक्षित हो रही है। अपीलार्थी का इसमें कोई दोष नहीं आता है एवं नवीनतम नक्शे के आधार पर अपीलार्थी ने पत्थरगढ़ी नहीं किये जाने की जो रिपोर्ट दी है वह सहीं प्रतीत होती है। अपीलार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी नहीं किये जा सकने की रिपोर्ट से किसी पक्ष को न तो कोई हानि कारित हुई है और न ही लाभ तथा सरकार को भी कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। इसके विपरीत श्री सत्तार खां की कार्यवाही से साबित है कि उनके द्वारा की गई पत्थरगढ़ी से अब्दुल मजीद पुत्र नजीर खां मुसलमान को लाभ हुआ है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किन्हीं सीमाओं से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में भू.अ. अधिकारी जहां तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर और यदि यह संभव न हो अथवा ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा। इस प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी ने जो नवीनतम उपलब्ध नक्शे के अनुसार पत्थरगढ़ी नहीं किये जाने की रिपोर्ट की है वह नियमानुसार है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार पुराने ट्रेस कटी–फटी एवं अपठनीय थी। उक्त प्रकरण में जब श्री सत्तार खां भू.अ.निरीक्षक के विरूद्ध विचाराधीन जांच को समाप्त कर दिया है तथा जिला कलक्टर के आदेश दिनांक द्वारा तरमीम को अपने निर्णय दिनांक 31–1–2013 से निरस्त कर दिया है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त समान आरोप में आरोपित कर दण्डित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर तथा दस्तावेजी एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना अपीलार्थी को दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अपील[illegible] एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से [illegible] दण्डित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत[illegible] विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में जि[illegible] कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: Self Attested

दण्डादेश दिनांक 30–3–2016 विधि के प्रावधानों के एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी श्री मोहन सिंह चारण तत्कालीन पटवारी बिशनिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 30–3–2016 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:49 IST
Reason: SelfAttested